प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 11.07.2025

"साइबर क्राइम नियन्त्रण के लिये पुलिस टीम को मिली बडी सफलता"

"साइबर क्राइम नियन्त्रण के लिये पुलिस टीम द्वारा डिजीटल अरेस्ट कर फिनटैक साइबर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार"

श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली, जोन बरेली महोदय एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली, परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशन में, श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर महोदय द्वारा साइबर क्राइम संबंधित घटनाओं को गम्भीरता से लिया जा रहा है जिसमें श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी क्राइम , क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी साइबर क्राइम थाना के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम , एस.ओ.जी. टीम व सर्विलांस टीम ने उक्त डिजीटल अरेस्ट कर साइबर ठगी की घटना में संलिप्त अपराधियों की विशेष निगरानी एवं साइबर क्राइम से ठगे गये लोगों को उनकी धनराशि वापस कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिये गये।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04/07/2025 को वादी श्री अरुण कुमार अवस्थी को डिजीटल अरेस्ट कर साइबर ठगो द्वारा धोखा धडी कर फर्जी लोकसेवक बनकर भय दिखाकर डरा धमका कर वादी से 27,09,985 रुपये अपने खाते में डलवा लिये गये।। उक्त घटना के संबंध में श्री अरुण कुमार अवस्थी द्वारा दिनांक 04/07/2025 को साइबर क्राइम थाना पर **मु0अ0सं0 16/2025 धारा** 318(4),319(2) , 204,351(3) BNS व 66C, 66D IT ACT अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा विवेचना के दौरान धारा 111(2)(ख), 111(4) BNS की बृद्धि की गयी ।

अपराध कारित करने का तरीका:- (MODUS OPERANDI)

साइबर ठगों द्वारा डिजीटल अरेस्ट तथा फिनटेक फ्रॉड की दो टीमें लगाकर साइबर ठगी की गयी है।

डिजीटल अरेस्ट:-

डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि **साइबर ठगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक धोखाधड़ी की तकनीक** है। इसमें अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी या एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर व्यक्ति को डराते हैं कि वह किसी अपराध में फंस गया है और उसे **"डिजिटल रूप से गिरफ्तार"** किया जा रहा है।

डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है:

- वीडियो कॉल या फोन पर खुद को पुलिस, CBI या कोर्ट का अधिकारी बताकर डराना
- फर्जी दस्तावेज़, लोगो और पहचान पत्र दिखाकर विश्वास दिलाना
- मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगाकर धमकाना
- पीड़ित को घर में ही "डिजिटल कस्टडी" में रखने की बात कहना
- बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवाना या लोन लेने को मजबूर करना

फिनटैक साइबर फ्रॉड:-

फिनटैक साइबर फ्रॉड एक आधुनिक डिजिटल धोखाधड़ी है जिसमें ठग वित्तीय तकनीक (Fintech) प्लेटफॉर्म्स जैसे मोबाइल वॉलेट, UPI ऐप्स, डिजिटल लोन सेवाओं आदि का दुरुपयोग करते हैं

फिनटेक धोखाधडी के प्रमुख प्रकार:

- **फिशिंग (Phishing):**नकली वेबसाइट, ईमेल या SMS के माध्यम से उपयोगकर्ता से उसकी संवेदनशील जानकारी जैसे OTP, पासवर्ड, UPI पिन आदि प्राप्त करना।
- **UPI फ्रॉड:** फर्जी QR कोड स्कैन करवाकर या कॉल के माध्यम से PIN डलवाकर खाते से पैसे निकालना।
- **लोन ऐप फ्रॉड:**अवैध या फर्जी लोन ऐप इंस्टॉल करवाकर उपयोगकर्ता से व्यक्तिगत जानकारी लेना, फिर उसे ब्लैकमेल करना या मोबाइल डेटा (गैलरी, कॉन्टैक्ट्स आदि) का दुरुपयोग करना।
- **साइबर ठगी कॉल्स: खुद को बैंक अधिकारी, KYC एजेंट या सरकारी अधिकारी बताकर कॉल करना और डराकर बैंकिंग जानकारी हासिल करना। (मुकदमा उपरोक्त मे प्रयोग किया गया)**
- **मालवेयर अटैक:**किसी संदिग्ध लिंक या ऐप पर क्लिक करने से मोबाइल में वायरस आ जाता है, जो फिनटेक ऐप्स की जानकारी चुराकर वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है।

उपरोक्त प्रकरण में डिजीटल अरेस्ट तथा फिनटैक साइबर फ्रॉड का प्रयोग कर वित्तीय ठगी की गयी है। फिनटैक साइबर फ्रॉड की टीम कमीशन पर किसी भी व्यक्ति का कोर्पोरेट करेंट अकाउण्ट विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से चिन्हित करती है और फिर डिजीटल अरेस्ट किये हुये व्यक्ति का पैसा फेस टू फेस बैठा कर उस अकाउण्ट में डालती है। कोर्पोरेट अकाउण्ट से Cash Management System द्वारा विभिन्न लाभार्थी अकाउण्ट एड कर पैसे को आगे ट्रांसफर किया जाता है। भिन्न भिन्न खातों में रुपये ट्रासंफर करा कर अंत में Saving Accounts से क्रिप्टो करंसी मे सम्पूर्ण धनराशि को किसी क्रिप्टो वालेट (जैसे Binance) में भेज दिया जाता है।

विवेचना के दौरान पाया गया कि व्हाट्सअप पर विभिन्न एजेन्सियों (मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स डिपार्टमेंन्ट, ईडी, सीबीआई व कथित न्यायालय के जज) के अधिकारी का पद धारण कर वादी को व्हाटसअप वीडियो कॉल पर डिजीटल अरेस्ट कर लिया गया। जिसके बाद ठगों द्वारा जमानत व सारे लगाये गये आरोपों से बरी करने के नाम पर 27,09,985 रुपये अपने खातों ट्रांसफर करा लिये गये। । उक्त क्रम में दिनांक 11.07.25 को उक्त घटना में सम्मलित अभियुक्त मुकुल चौहान पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पंतजिया थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को आज दिनांक 11.07.25 को थाना रोजा क्षेत्रान्तर्गत बरनई तिराहे के पास हाइवे किनारे से समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार कर बाद विधिक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

- मुकुल चौहान पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पंतजिया थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा।
- **पूछताछ का विवरण:-**

गिरफ्तार अभियुक्त मुकुल चौहान ने पूछताछ के दौरान मुकदमा उपरोक्त की घटना को कारित किया जाना स्वीकार कीया है। अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि आज मैं बस के इंतजार में शाहजहांपुर में हाइवे किनारे खड़ा था जहां रास्ते में पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद मोबाईल फोन VIVO कम्पनी
2. 210 रुपये

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1- प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार शुक्ला साइबर क्राइम थाना शाहजहाँपुर
2- उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह साइबर क्राइम थाना शाहजहाँपुर
3- का0 1978 केशव पाल साइबर क्राइम थाना शाहजहाँपुर
4- का0 954 पुष्पेन्द्र कुमार साइबर क्राइम थाना शाहजहाँपुर
5- प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम

जागरूक रहे-सजक रहे, साइबर अपराध से सुरक्षित रहे।

साइबर अपराध होने पर तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नं0 1930 पर काल कर अपनी शिकायत दर्ज कराये।